भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवंम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर २४-२५
दक्षिण मार्ग, सेक्टर ३१ ऐ
चण्डीगढ़-१६००३०

F.No. -: 9-PBB413/2016-CHA

दिनांक: बुधवार, 24 अगस्त 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव (वन),

पंजाब सरकार, वन विभाग,

लघु सचिवालय, सेक्टर-9,

चण्डीगढ।

विषय: **Diversion of 0.5704 hectare of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. for Laying of 400 KV D/C Transmission Line, LILO of One Circuit Parbati PS-Amritsar under Forest Division Jalandhar and District Kapurthala, Punjab**

संदर्भ:- नोडल ऑफिसर एंव मुख्य वन संरक्षक (वन) के पत्र संख्या FCA/1980/211/2016/6770 दिनांक 12.08.2016.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.5704** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों** को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
iii. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2010-CAMPA दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या PUNJAB CAMPA SB01025224, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या PUNJAB CAMPA SB344902010105429 भारतीय युनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफ्रोमा द्वारा सूचित किया जाये |

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
iii. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 46 मीटर होगी |
iv. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |
v. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 5.5 मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

कृ० पृ० उ०....

vi. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

vii. यदि संचरण लाइन का बनाये जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहां पर पेड़ नहीं काटे जायेंगे |

viii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

ix. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. प्रति पूर्ति पौधा रोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन राशि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए |

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए की इस परियोजना के कारण, इस क्षेत्र में उपस्थित वनस्पतियों और प्राणी समूह को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए |

xv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाव से बचाया जा सके |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम-1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xx. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्वों द्वारा चिन्हित की जाएगी | प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी |

xxi. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxiii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxiv. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है | राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

xxv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| *केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |*

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है |

भवदीय

(हर्ष मिश्र) 24.8.16

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाव, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल जालंधर और जिला कपूरथला, पंजाव |
4. मनमोहन सिंह, प्रवंधक, टीएलएससी मण्डल, पीजीसीआईएल, जालंधर, पंजाव |